

सेकेंडरी स्कूल स्थान आवंटन प्रणाली 2023/2025
सेकेंडरी एक स्वैच्छिक स्थानों के लिए आवेदन पर माता-पिता के लिए नोट्स
(भाग ना लेने वाले छात्रों के लिए लागू)

प्राथमिक 6 छात्रों के माता-पिता जो सेकेंडरी स्कूल स्थान आवंटन (SSPA) प्रणाली 2023/2025 के माध्यम से सेकेंडरी 1 (S1) स्वैच्छिक स्थान (DP) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सुझाव दिया जाता है कि वे इस दस्तावेज़ (माता-पिता के लिए नोट्स) को ध्यान से पढ़ें और इसका सेकेंडरी एक स्वैच्छिक स्थान के लिए आवेदन पत्र (आवेदन पत्र) और उसके ध्यान देने योग्य बिंदुओं के लिए संदर्भ लें।

2. छात्र आवेदक हांग कांग का निवासी हो या हांग कांग में सार्वजनिक क्षेत्र के स्कूलों में भाग लेने के लिए वैध प्रवेश पहचान दस्तावेज़ रखते हों; SSPA के माध्यम से कभी भी S1 स्थान आवंटित नहीं किया गया हो; हांग कांग के किसी भी सरकारी, सहायता प्राप्त, कंप्यूट और डायरेक्ट सब्सिडी योजना (DSS) माध्यमिक विद्यालयों में कभी अध्ययन नहीं किया हो; SSPA में भाग लेने वाले प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन नहीं करता हो; वर्तमान आवंटन चक्र के लिए आवेदन पत्र कभी जारी नहीं किया गया हो; और अगस्त 2025 तक प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली हो। यदि उपरोक्त स्थिति के संबंध में कोई परिवर्तन होता है, तो छात्र आवेदक को तुरंत शिक्षा ब्यूरो EDB के स्कूल स्थान आवंटन (SPA) अनुभाग से संपर्क करना चाहिए, और DP के लिए उनके सभी संबंधित आवेदन रद्द कर दिया जायेंगे।

3. EDB ने S1 प्रवेश के डिजिटलीकरण को लागू किया है। EDB माता-पिता को संपूर्ण S1 आवेदन प्रक्रिया के दौरान अधिक सुविधाजनक और तेज़ सेवाओं के लिए जल्द से जल्द “iAM Smart+” के साथ पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। माता-पिता “iAM Smart+” पंजीकरण के विवरण के लिए “iAM Smart” की विषयगत वेबसाइट पर जा सकते हैं या “iAM Smart” मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

“iAM Smart” की विषयगत वेबसाइट

(<https://www.iamsmart.gov.hk/en/>)

(चुनें: Home > “iAM Smart” Registration > Registration Methods)



4. SSPA e-Platform उपयोगकर्ताओं के रूप में पंजीकृत और अपने खाते को “iAM Smart+” से जोड़ने वाले माता-पिता, कागजी आवेदन पत्र के अलावा, SSPA e-Platform के माध्यम से DP आवेदन जमा कर सकते हैं। माता-पिता नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और अपने बच्चे की छात्र संदर्भ संख्या के साथ-साथ EDB के SPA अनुभाग द्वारा वितरित एकटिवेशन कोड के साथ एक SSPA e-Platform खाता के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। खाता बनाने और लॉगिन प्रक्रियाओं के लिए, कृपया EDB के होमपेज पर अपलोड किए गए संबंधित वीडियो और अभिभावकों की मार्गदर्शिका देखें (www.edb.gov.hk) (चुनें: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System > Digitalisation of S1 Admission > SSPA e-Platform Parent’s Guide).

SSPA e-Platform
(<https://esspa.edb.gov.hk>)



आवश्यकताएँ

5. इस बात की परवाह किए बिना कि आवेदन SSPA e-Platform द्वारा अथवा कागजी आवेदन पत्र के रूप में भरा जाए, प्रत्येक छात्र सेकेंडरी एक स्वैच्छिक स्थानों के आवेदन हेतु हैंडबुक (हैंडबुक) में सूचीबद्ध **अधिकतम दो** भाग लेने वाले सेकेंडरी स्कूलों में आवेदन कर सकता है, अन्यथा **DP आवेदन को अवैध कर दिया जाएगा**। कृपया ध्यान दें कि यदि अभिभावकों ने SSPA e-Platform द्वारा आवेदन पत्र जमा किया है तो उन्हें सेकेंडरी विद्यालय में डूप्लिकेट कागजी आवेदन जमा नहीं करना चाहिए और ऐसे ही इसके विपरीत भी। यदि अभिभावकों ने डूप्लिकेट आवेदन भरे हैं (यानी कि SSPA e-Platform द्वारा व कागजी आवेदन पत्र के रूप में उसी सेकेंडरी स्कूल में एक ही आवेदन संख्या वाला आवेदन जमा करना), तो वह दोनों आवेदन एक ही माने जाएंगे। अर्थात्, डूप्लिकेट आवेदन विद्यार्थी के स्कूल में आवंटित होने की सम्भावना को नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा अभिभावकों को SSPA e-Platform व कागजी फॉर्म के माध्यम से एक ही आवेदन संख्या वाला आवेदन अलग अलग स्कूलों में जमा नहीं करना चाहिए। नहीं तो **उनके बच्चे के DP आवेदन अवैध कर दिए जाएंगे**।

6. हैंडबुक EDB द्वारा प्रकाशित की गई है। माता-पिता सूची को डाउनलोड करने के लिए EDB के होमपेज (www.edb.gov.hk) पर जा सकते हैं (चुनें: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) या EDB की 24 घंटे के ऑटमैटिक टेलीफोन पूछताछ प्रणाली पर फ़ैक्स से लिस्ट प्राप्त करने के लिए 2891 0088 पर कॉल करें (दबाएँ 2 (English) > 5 (Fax Services) > 04 (Secondary School Places Allocation System: School Lists))।

आवेदन की अवधि


7. भाग लेने वाले सभी सेकेंडरी स्कूलों के लिए DP के आवेदनों अवधि एक ही होगी, जो **2 जनवरी (गुरुवार) से शुरू होकर 16 जनवरी 2025 (गुरुवार) तक होगी, दोनों तिथियों को सम्मिलित कर के**। अलग अलग स्कूलों के संचालन घंटों के विषय में पूछताछ स्कूलों से सीधे सम्पर्क करके प्राप्त की जानी चाहिए।

आवेदन की विधि

8. अभिभावक DP के लिए आवेदन करने या ना करने का चयन कर सकते हैं। जो अभिभावक SSPA e-Platform के पंजीकृत उपभोगता हैं व जिनका खाता “iAM Smart+” से जुड़ा हुआ है, वह कागजी आवेदन पत्र के अलावा DP आवेदन SSPA e-Platform द्वारा भी जमा कर सकते हैं

(a) SSPA e-Platform द्वारा आवेदन जमा करना

9. यदि अभिभावक SSPA e-Platform के माध्यम से DP आवेदन का चयन करते हैं तो उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए:

- (i) SSPA e-Platform पर लॉगिन करें।¹ SSPA e-Platform पर खाता बनाने व लॉगिन प्रक्रिया के लिए कृपया दाहिनी ओर दिये गए QR कोड को स्कैन करके EDB के होम पेज पर (www.edb.gov.hk) जाएं (चुनें: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System > Digitalisation of S1 Admission > SSPA e-Platform Parent's Guide) और इससे सम्बंधित विडीओ व अपलोड की गई अभिभावकों की मार्गदर्शिका देखिए। 
- (ii) DP के पेज पर जाने के लिए “Apply Now” को चुनें।
- (iii) जिन सेकेंडरी स्कूल में आवेदन करना चाहते हैं उनका स्कूल की तरजीह का क्रम चुनें (जैसे कि स्कूल की तरजीह का क्रम 1 या स्कूल की तरजीह का क्रम 2)।
- (iv) “Name of secondary school applied to” चुनें/लिखें।
- (v) स्कूल द्वारा आवश्यक संपर्क जानकारी भरें, जिसमें पत्राचार पता, संपर्क टेलीफोन नंबर और ईमेल पता शामिल है।
- (vi) सेकेंडरी स्कूल के संदर्भ के लिए विद्यार्थी के पहचान दस्तावेज/दस्तावेजों² (जैसे, हांग कांग पहचान पत्र, हांग कांग जन्म सर्टिफिकेट या कोई और पहचान दस्तावेज) (अनिवार्य) को अपलोड करें।
- (vii) सेकेंडरी स्कूल द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को दस्तावेज श्रेणी के आधार पर संबंधित फ़ोल्डरों में अपलोड करें (उदाहरण के लिए, पूर्ण स्कूल-आधारित आवेदन पत्र, रिपोर्ट कार्ड की प्रतियां और प्रमाणपत्रों और पुरस्कारों के रिकॉर्ड)।
- (viii) सुनिश्चित करें कि “Name of Secondary School Applied to”, स्कूल की तरजीह का क्रम और अपलोड किए गए दस्तावेज सही हैं।
- (ix) “Points to Note on Application for Secondary One Discretionary Places” और EDB और आवेदन किए जा रहे सेकेंडरी स्कूल के प्रासंगिक “Personal Information Collection Statement” की समझ को स्वीकार करें।
- (x) “iAM Smart+” के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करके पुष्टि करें।
- (xi) “iAM Smart+” के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के बाद, आवेदन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए “Confirm and Submit” और फिर “Yes” पर क्लिक करें।
- (xii) जांचें कि क्या चुने गए स्कूल की तरजीह का क्रम के आवेदन की स्थिति को “Submitted” में बदल दिया गया है और SSPA e-Platform द्वारा जारी पावती ईमेल प्राप्त हो गई है।
- (xiii) अन्य स्कूल की तरजीह का क्रम के लिए आवेदन जमा करने के लिए उपरोक्त चरण (iii) से (xii) को दोहराएं।

¹ SSPA e-Platform पर दिखाई गई जानकारी और आपके बच्चे के पहचान दस्तावेज पर दिखाई गई जानकारी के बीच विसंगतियों के मामले में, कृपया सुधार के लिए SPA अनुभाग को तुरंत सूचित करें।

² प्रत्येक के लिए स्कूल तरजीह के क्रम 1 और स्कूल तरजीह के क्रम 2 के लिए अधिकतम फ़ाइल आकार कुल मिलाकर 12.5MB है। सिस्टम PDF प्रारूप और सामान्य चित्र फ़ाइल प्रारूपों (GIF, BMP, PNG और JPEG) का समर्थन करता है।

10. बड़ी संख्या में आवेदनों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए, **SSPA e-Platform पर प्रत्येक लॉगिन सत्र 30 मिनट तक सीमित है।** कृपया आवेदन प्रक्रियाएं 30 मिनट के भीतर पूरी करें। यदि आवश्यक हो, तो माता-पिता “Save as Draft” फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं और नए लॉगिन सत्र में ड्राफ्ट प्राप्त करके आवेदन जमा करना जारी रख सकते हैं।

माता-पिता को ध्यान देना चाहिए कि इस बात की परवाह किए बिना कि आवेदन SSPA e-Platform के माध्यम से व कागजी आवेदन पत्र के रूप में जमा किए गए हों, एक बार जमा किए गए आवेदनों को पुनः प्राप्त या रद्द नहीं किया जा सकता है, और स्कूल की तरजीह के क्रम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(b) कागजी आवेदन पत्र के रूप में आवेदन जमा करना:

11. आवेदन पत्र को विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के उपयोग के लिए बनाया गया है जो सरकारी, सहायता प्राप्त, और कंप्यूटर सेकेंडरी स्कूलों तथा SSPA प्रणाली में भाग ले रहे DSS सेकेंडरी स्कूलों (अर्थात् वे स्कूल जो हैंडबुक में सूचीबद्ध हैं)³ के लिए DP आवेदन करने की इच्छा रखते हैं। प्रत्येक छात्र को दो आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं।

12. प्रत्येक आवेदन पत्र चार भागों में विभाजित होती है: EDB की प्रति (नीले रंग में), स्कूल की प्रति (हरे रंग में), अभिभावकों की प्रति (लाल रंग में), और स्कूल की तरजीह का क्रम (स्कूल की तरजीह का क्रम 1 का अर्थ है पहली प्राथमिकता और स्कूल की तरजीह का क्रम 2 का अर्थ है दूसरी प्राथमिकता) (लाल रंग में)। विद्यार्थी की जानकारी आवेदन पत्र में पहले से मुद्रित होती है। उदाहरण के रूप में, अभिभावक प्रति में पहले से मुद्रित जानकारी में शामिल है:

- आवंटन चक्र
- विद्यार्थी संदर्भ संख्या
- आवेदन संख्या
- विद्यार्थी का नाम
- लिंग
- जन्मतिथि

13. यदि आवेदन पत्र एकत्र होने के बाद व्यक्तिगत विवरण में संशोधन की आवश्यकता है, तो माता-पिता को EDB के SPA अनुभाग की सहायता से जल्द से जल्द संशोधन करना चाहिए। अभिभावकों को आवेदन पत्र पर पूर्व-मुद्रित किसी भी जानकारी में स्वयं संशोधन नहीं करना चाहिए। वे जिन माध्यमिक विद्यालयों में आवेदन करते हैं, वे आवेदन पत्र प्राप्त करते समय उनके लिए पूर्व-मुद्रित जानकारी में संशोधन नहीं करेंगे।

³ यह आवेदन पत्र Jockey Club Ti-I College और SSPA प्रणाली (NDSS सेकेंडरी स्कूल) में भाग नहीं लेने वाले DSS सेकेंडरी विद्यालयों के लिए आवेदन पर लागू नहीं है। Jockey Club Ti-I College में S1 दाखिले के लिए आवेदन अवधि 2 जनवरी (गुरुवार) से 20 जनवरी 2025 (सोमवार) है। SSPA 2023/2025 में भाग ना लेने वाले DSS सेकेंडरी स्कूलों की सूची के संबंध में माता-पिता, सूची को डाउनलोड करने के लिए EDB के होमपेज (www.edb.gov.hk) पर जा सकते हैं (चुनें: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) या EDB की 24 घंटे के ऑटमैटिक टेलीफोन पूछताछ प्रणाली पर फ़ैक्स से लिस्ट प्राप्त करने के लिए 2891 0088 पर कॉल करें (दबाएँ 2 (English) > 5 (Fax Services) > 04 (Secondary School Places Allocation System: School Lists)। चूंकि NDSS सेकेंडरी स्कूलों के आवेदन का अपना समय होता है, तो कृपया अधिक जानकारी के लिए कृपया संबंधित स्कूल से सीधे सम्पर्क करें।

14. यदि अभिभावक कागजी आवेदन पत्र के रूप में DP आवेदन का चयन करते हैं तो उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए:

- (i) तरजीह के आधार पर आवेदन पत्र के सभी चार भागों में दिए गए स्थानों पर आवेदन करने के लिए सेकेंडरी स्कूल का नाम भरें।
- (ii) प्रतिधारण और रिकॉर्ड के लिए स्कूल की तरजीह के क्रम वाले हिस्से को अलग करें (छात्रों को उन स्कूलों के लिए अपनी प्राथमिकता के क्रम का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, जिन पर वे आवेदन करते हैं)। अन्य तीन भागों को यथावत रखा जाना चाहिए।
- (iii) EDB की कॉपी, स्कूल की कॉपी और माता-पिता की कॉपी, जिस पर एक ही आवेदन संख्या हो (तीनों भागों को बरकरार रखते हुए) सीधे सेकेंडरी स्कूल में जमा करें, साथ ही सेकेंडरी स्कूल द्वारा आवश्यक संबंधित दस्तावेजों (उदाहरण के लिए, विधिवत) के साथ पूर्ण स्कूल-आधारित आवेदन पत्र)।
- (iv) जांच के लिए छात्र के पहचान दस्तावेज की मूल प्रति सेकेंडरी स्कूल में प्रस्तुत करें।
- (v) अंत में, सेकेंडरी स्कूल से माता-पिता की प्रति प्राप्त करें जिसमें रिकार्ड व प्रतिधारण के लिए स्कूल की स्टैप, स्कूल का नाम और स्कूल कोड लिखा हो।

माता-पिता को ध्यान देना चाहिए कि एक बार जमा किए गए आवेदनों को वापस नहीं लिया जा सकता है या रद्द नहीं किया जा सकता है और स्कूल की तरजीह के क्रम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

15. यदि विद्यार्थी केवल एक सेकेंडरी स्कूल को आवेदन करता है, तो स्कूल की तरजीह के क्रम 1 का आवेदन पत्र उपयोग किया जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी अपने दोनों आवेदन पत्रों को एक ही स्कूल को जमा करता/करती है, तो EDB केवल स्कूल की तरजीह के क्रम 1 के आवेदन को संसाधित करेगी और स्कूल की तरजीह के क्रम 2 को अमान्य कर दिया जाएगा। कोई भी अप्रयुक्त आवेदन पत्र हस्तांतरणीय नहीं है। आवेदन की अवधि के बाद अभिभावक स्वयं आवेदन पत्रों को रख सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं।

16. निम्नलिखित परिस्थितियों में, सेकेंडरी स्कूल द्वारा आवेदन पत्रों को संसाधित नहीं किया जाएगा:

- समयावधि के समापन के बाद डाक द्वारा भेजे गए अथवा जमा किए गए आवेदन पत्र
- आवंटन चक्र, विद्यार्थी संदर्भ संख्या और आवेदन संख्या में संशोधन किए गए आवेदन पत्र
- EDB की मुहर के बिना विद्यार्थी के नाम, लिंग, और जन्मतिथि में संशोधन किए गए आवेदन पत्र
- डुप्लिकेट, क्षतिग्रस्त या अपूर्ण आवेदन पत्र

स्कूल स्थानों का आवंटन

17. भाग लेने वाले सेकेंडरी स्कूल अपने शैक्षिक दर्शन व परंपरा के अनुसार स्वयं प्रवेश मानदंड तैयार कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि वे अपने प्रवेश मानदंडों और वेटेज और साथ ही आवेदन के लिए अपनी DP संख्या को सार्वजनिक करें, और इसे स्कूल में एक प्रमुख स्थान में प्रदर्शित करें या DP आवेदन अवधि से पहले लिखित रूप में प्रत्येक छात्र आवेदक को उपलब्ध कराएँ। एक स्कूल में आवेदन करने से पहले अभिभावकों को उसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए, जैसे उसका शैक्षिक दर्शन, परंपरा, धर्म, प्रवेश मानदंड व वेटेज, कक्षा की संरचना, विकास व संचालन, और उनके बच्चों की विशेषताएँ, व्यक्तित्व, योग्यताएँ और रुचियाँ ताकि उपयुक्त स्कूल का चुनाव किया जा सके। स्कूल साक्षात्कार कर सकते हैं लेकिन किसी भी रूप में लिखित परीक्षा आयोजित नहीं कराई जानी चाहिए।

18. DP आवेदनों को संसाधित करने के बाद, सभी भाग लेने वाले सेकेंडरी स्कूल (Jockey Club Ti-I College सहित) को, सफल बच्चों के आवेदक माता पिता को (भाग ना लेने वाले छात्रों के सहित) **31 मार्च 2025⁴** को उनके बच्चे को स्वैच्छिक स्थानों की सफल सूचियों में शामिल करने के बारे में पत्र और फ़ोन द्वारा सूचित करना आवश्यक है। स्कूलों द्वारा अभिभावकों को अधिसूचना व्यवस्था से अच्छी तरह अवगत कराना और पहले से अभिभावकों से आवश्यक सम्पर्क जानकारी एकत्रित करनी अनिवार्य है। यह अधिसूचना व्यवस्था आरक्षित व असफल आवेदकों पर लागू नहीं होती है, **ना ही ये आवंटन परिणाम हैं।** सम्बंधित अभिभावकों को उन सूचनाओं का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है कि वह पेशकश को स्वीकार करते हैं या नहीं।

19. पैराग्राफ 18 में व्यवस्थाएं प्रशासनिक उपाय हैं और मौजूदा SSPA तंत्र अपरिवर्तित रहता है। प्रत्येक आवेदन में छात्र की स्कूल तरजीह के क्रम की पहचान करने के लिए एक अद्वितीय संख्या होती है। EDB स्वैच्छिक स्थानों के लिए स्कूलों की सफल/आरक्षित सूचियों के मुकाबले छात्रों की प्राथमिकताओं का मिलान करेगा। यदि कोई छात्र दोनों स्कूलों में आवेदन करने में सफल होता है, जहां उसने आवेदन किया है, तो उसे उसकी प्राथमिकता के क्रम के आधार पर उसकी पहली पसंद वाले स्कूल में S1 स्थान आवंटित किया जाएगा। यदि माता-पिता ने किसी ऐसे माध्यमिक विद्यालय के लिए आवेदन किया है जो अंततः इस आवंटन चक्र में SSPA प्रणाली के तहत S1 स्थानों की पेशकश नहीं करता है, तो उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

20. **DP और केंद्रीय आवंटन (CA) के नतीजे 8 जुलाई 2025⁵ को एक ही समय पर जारी किए जाएंगे।** अभिभावकों को परिणाम की घोषणा से पहले उन स्कूलों से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है जिनमें वे आवेदन करते हैं। यदि भाग ना लेने वाले छात्रों को DP चरण में भाग लेने वाले माध्यमिक विद्यालयों या Jockey Club Ti-I College द्वारा प्रवेश दिया जाता है, तो संबंधित माध्यमिक विद्यालय 8 जुलाई 2025 को माता-पिता को आवंटन परिणाम की घोषणा की तिथि में आधिकारिक आवेदन परिणामों और संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में सूचित करने के लिए कॉल करेगा। यदि आवश्यक हो तो भाग ना लेने वाले छात्रों के माता-पिता आवंटन परिणामों की घोषणा की तिथि पर उस माध्यमिक विद्यालय (स्कूलों) से संपर्क कर सकते हैं जिसमें उन्होंने आवेदन किया है।

⁴ SSPA e-Platform उपयोगकर्ताओं के रूप में पंजीकृत माता-पिता, उसी दिन सुबह 10 बजे से SSPA e-Platform के माध्यम से सफल DP आवेदकों के लिए अधिसूचनाएं भी देख सकते हैं।

⁵ SSPA e-Platform उपयोगकर्ताओं के रूप में पंजीकृत माता-पिता के लिए, वे उसी दिन सुबह 10 बजे से SSPA e-Platform के माध्यम से आवंटन परिणाम भी देख सकते हैं।

21. यदि भाग ना लेने वाले छात्र अपने DP आवेदन असफल होने की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र S1 स्थान आवंटित करना चाहते हैं, तो वे मई से अगस्त 2025 तक कार्यालय समय के दौरान EDB के SPA अनुभाग में जा सकते हैं, अपने जनम प्रमाण-पत्र और पहचान दस्तावेज जो यह साबित करते हों कि धारक सार्वजनिक क्षेत्र के स्कूलों में प्रवेश के लिए पात्र हैं, प्राथमिक शिक्षा में उच्चतम स्तर के लिए स्नातक या शैक्षणिक प्रमाण, और हांग कांग में पते का प्रमाण की मूल प्रति और फोटो कॉपी साथ लेकर। CA के बाद उपलब्ध स्थान EDB द्वारा पात्र छात्र आवेदकों को आवंटित किए जाएंगे। आवेदनों के पहले बैच के परिणाम जुलाई 2025 की शुरुआत में घोषित किए जाएंगे, दूसरे बैच के जुलाई-2025 के अंत तक, तीसरे बैच के परिणाम अगस्त 2025 के मध्य में घोषित किए जाएंगे और उसके बाद छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा।

आवेदन पत्र के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन

22. क्षतिग्रस्त या खोए हुए आवेदन पत्र के प्रतिस्थापन को SPA विभाग से छात्र आवेदक के मूल पहचान पत्र के साथ प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक प्रतिस्थापन के लिए HK\$125 का शुल्क लागू होगा। यदि प्रतिस्थापन करने के बाद क्षतिग्रस्त या खोया हुआ आवेदन पत्र मिल जाता है, तो अभिभावकों को प्रतिस्थापन प्रति का उपयोग करना चाहिए और जो वापिस मिला है उस को नष्ट कर देना चाहिए। अभिभावकों को एक से अधिक सेकेंडरी स्कूल के आवेदन के लिए एक ही स्कूल तरजीह क्रम वाले आवेदन पत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना उनके बच्चे के DP आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

पूछताछ

23. अधिक पूछताछ के लिए, कृपया EDB के SPA सैक्शन (SSPA) से 2832 7740 या 2832 7700 पर सम्पर्क करें।

स्कूल स्थान आवंटन सैक्शन
शिक्षा ब्यूरो
दिसम्बर 2024